


आदेश

कार्यवाही विवरण

अनुपाल
क्रमांक व श

30/5/25 पत्रावली पेश हुई। दफ्तरी दादी/प्राथी उपस्थित नहीं।
न्यायालय का समय पूर्ण होने तक बार-बार आवाज लगाई
गई। बार-बार आवाज लगाने के बावजूद दफ्तरी दादी/प्राथी
उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण को इसी स्तर पर अदम हजरती
अदम पैरवी में खरिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार
शेकर नम्बर से कम हो व दाखील दफ्तर हो।


उपसभ अधिकारी
सदयपुरवादी